न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —42/2020

अनवान : —

1. सुनिलकुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. नारायणी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. लिलावती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
5. ओमवती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
6. सरोज पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
7. राजबाला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
8. अनोसूईया पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
9. सरबती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
10. मीरां पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
11. बलवीरसिंह पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री गुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री विनोद जाखड़ प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 18/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं 53/54 के मु0 न0 17 के किला न0 24, 25 मु0 न0 24 के किला न0 4 ता 8 मु0 न0 38 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 40 के किला न0 6 , 15 ,16 ,25 मु0 न0 41 के किला न0 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0 न0 44 के किला न0 2 ता 4 , 7 ता 9 कुल 8.653है0 नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी सं 1 रणजीत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के परदादा जोधा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जोधा के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 रणजीत के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 11 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कतो खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 रणजीत के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी के हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादी को अपने हकों की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। साक्ष्य वादी में वादी सुनिलकुमार पुत्र कृष्ण निवासी मलखेड़ा के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में प्रस्तुत जमाबंदी चक 18 एएमएस सवतं 2073–76 प्रदर्श 1 जमाबंदी सवंत 2016 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलखेड़ा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं 53/54 के मु0 न0 17 के किला न0 24, 25 मु0 न0 24 के किला न0 4 ता 8 मु0 न0 38 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 40 के किला न0 6 15 ,16 ,25 मु0 न0 41 के किला न0 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0 न0 44 के किला न0 2 ता 4 , 7 ता 9 कुल 8.653है0 नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी सं 1 रणजीत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 11 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि में से प्रतिवादी सं 1 तथा 3 ता 10 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 2 तथा 11 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है जिसे राजीनामा में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 2 तथा 11 को बहिस्सा बराबर के काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं 53/54 के मु0 न0 17 के किला न0 24, 25 मु0 न0 24 के किला न0 4 ता 8 मु0 न0 38 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 40 के किला न0 6 , 15 ,16 ,25 मु0 न0 41 के किला न0 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0 न0 44 के किला न0 2 ता 4 , 7 ता 9 कुल 8.653है0 नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी सं 1 रणजीत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादी सं 1 रणजीत का नाम कलमजन कर वादी सुनिलकुमार व प्रतिवादी सं 2 कृष्णकुमार तथा प्रतिवादी सं 11 बलवीरसिंह को बहिस्सा बराबर के काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं 1, 3 ता 10 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 2 तथा 11 के पक्ष में तर्क कर शुन्य कर लिया है अतः तर्क किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़